छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिसम्बर, 2021 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 (अग्रहायण 24,1943)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार दिनांक 16.08.2017 को जिला–दुर्ग, विकासखण्ड–धमधा के ग्राम–राजपुर की शगुन गौशाला तथा दिनांक 18.08.2017 को जिला–बेमेतरा, विकासखण्ड–साजा के ग्राम–गोडमर्रा की फूलचंद गौशाला एवं ग्राम रानो की मयूरी गौशाला में पशुओं की आकस्मिक मृत्यु की जांच हेतु गठित न्यायिक जांच आयोग का जांच प्रतिवेदन एवं पालन प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे।

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2021–22 के बजट की प्रथम तथा द्वितीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखेंगे।

(3) श्री टी. एस. सिंहदेव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2020–21 (दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2021 तक) पटल पर रखेंगे।

(4) श्री टी. एस. सिंहदेव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 44 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 पटल पर रखेंगे।

(5) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 07–02/2011/32, दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 पटल पर रखेंगे।

(6) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

(7) श्री उमेश पटेल, तकनीकी शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 34 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य, राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री अमितेश शुक्ल, सदस्य, गरियाबंद जिले में हरित क्रांति योजनांतर्गत मिनी राईस मिल एवं कृषि यंत्र की खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) श्री धनेन्द्र साहू, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(3) डॉ. प्रीतम राम, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का पंचम, षष्ठम्, सप्तम्, अष्ठम्, नवम्, दशम्, ग्यारहवां एवं बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(4) श्री दलेश्वर साहू, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

5. वित्तीय वर्ष 2021–2022 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

निर्धारित समय

3 घंटे

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 36, 39, 41, 42, 51, 54, 55, 56, 64, 65, 69, 79, 80 एवं 81 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर **दो हजार एक सौ आठ करोड़, बासठ लाख, चौरासी हजार, तीन सौ नवासी रूपये** की अनुपूरक राशि दी जाये।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक–4) विधेयक, 2021 (क्रमांक 15 सन् 2021) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

क्रमशः 3

(2) श्री कवासी लखमा, वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन)(छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(3) श्री टी.एस. सिंहदेव, वाणिज्यिक कर (जी एस टी) मंत्री, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक,2021 (क्रमांक 12 सन् 2021) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(4) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(5) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 14 दिसम्बर, 2021